प्रेस विज्ञप्ति

गोरखपुर 3 जनवरी 17। खादी एंव ग्रामोद्योग मंत्री ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में खादी के विकास के लिए खादी ग्रामोद्योग विभाग बाजार में होने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार है तथा खादी में नई नई डिजाइनों के उत्पादन के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है तथा खादी को हर आयु वर्ग की पसंद के अनुसार डिजाइन करने के लिए शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खादी के विकास के लिए जनपद कुशीनगर में 4 करोड़ की लागत से प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण भी कराया जा रहा है जिसमें लोगों को खादी के विकास लिए प्रशिक्षित किया जायेगा जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जो लोग अपना स्वरोजगार करना चाहेंगे उन्हें तकनीकी जानकारी भी मिलेगी।

उक्त बातें मा0 मंत्री जी ने टाउनहाल कचहरी क्लब मैदान में खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से खादी के प्रचार प्रसार में काफी मदद मिलेगी और दूसरे प्रान्तों से आये खादी उत्पादकों से यहां के उत्पादकों को काफी जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि खादी के विकास लिए हम सभी को सप्ताह में एक दिन खादी अवश्य पहनना चाहिए।

इस अवसर पर खादी ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस श्रीवास्तव ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि खादी के विकास के लिए प्रदेश सरकार काफी गंभीर है तथा लागातर संसाधन मुहैया करा रही है जिससे पूर्वान्चल में लोगों को रोजगार मिल सकेगा और स्वावलम्बी बनेगे। उन्होंने युवाओं से खादी से जुड़ने की अपील करते हुए बताया कि इस प्रदर्शनी में उत्तराखण्ड, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर से खादी उत्पादक अपना स्टाल लगाये हैं। इस अवसर पर सुविख्यात शायर कलीम कैसर ने खादी के क्षेत्र में किये गये कार्यों के बारे में प्रकाश डाला। प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न जनपदों के खादी ग्रामोद्योग अधिकारी तथा उप कार्यपालक अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

प्रेस विज्ञप्ति

गोरखपुर 3 जनवरी 17। गुरू गोविंद सिंह जयंती, लोहरी, मकर संक्रांति एंव गणतंत्र दिवस तथा जनपद में आयोजित होने वाली परीक्षाओं एंव राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आदि का कार्यक्रम ओजित किया जा सकता है। उपरोक्त पर्वों एंव परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तहसील सदर के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 फरवरी 2017 तक तात्कालिक प्रभाव से धारा 144 लागू कर दिया गया है। उक्त आदेश उप जिला मजिस्ट्रेट सदर रत्नप्रिया ने दिया।

उ0सू0नि0गोरखपुर